न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192/2012/223 (2012/00015)

1. श्रीमती प्रभु पुत्री डूंगा पत्नी पन्नालाल, जाति रेगर, निवासी जैकमपुरा, तह मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती छोटी पुत्री डूंगा पत्नी कानाराम, जाति रेगर, निवासी जैकमपुरा, हाल आबाद हिरनोदा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नाथू दत्तक पुत्र डूंगा,
2. श्रीमती केसरदेवी पुत्री डूंगा पत्नी चन्दाराम,
   समस्त जाति रेगर, निवासी जैकमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. पांचू पुत्र मांगू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— सुवालाल पुत्र स्व0 पांचू, जाति रेगर, निवासी जैकमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
   3/2— श्रीमती गलखू पुत्री स्व0 पांचू पत्नी सोहन, जाति रेगर, निवासी साली, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
   3/3— श्रीमती बरजी पुत्री स्व0 पांचू, पत्नी सोहन, जाति रेगर, निवासी बसबरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
   3/4— श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 पांचू पत्नी जुग्गराम, जाति रेगर, निवासी बसबरा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
   3/5— श्रीमती मंगली पुत्री स्व0 पांचू, जाति रेगर, निवासी जैमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. लाला पुत्र मांगू, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— श्रीमती पांची बेवा लाला उर्फ लाल्या,
   4/2— भंवरलाल पुत्र लाला उर्फ लाल्या,
   4/3— रामधन पुत्र लाला उर्फ लाल्या,
   4/4— रामस्वरूप पुत्र लाला उर्फ लाल्या,
   4/5— प्रेम पुत्री लाला उर्फ लाल्या,
   समस्त जाति रेगर, नि0 जैकमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. रामदेव,
6. रामचन्द्र,
7. रामनारायण (फौत)
8. मोहन,
   पुत्रगण सुखा, जाति रेगर, नि0 ग्राम जैकमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
9. तहसीलदार, दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
10. रामेश्वर पुत्र कल्याण, जाति रेगर, नि0 जैकमपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 27.2.2012 अंतर्गत वाद संख्या 118/2003 पुनः दर्ज 131/2005.

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 4 के वारिसान एंव रेस्पो0 संख्या 10.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3/1 से 3/5 व 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में एक विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 44 की आराजी खसरा नंबर 14 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 56 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 336 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 341 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 343 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 17 के आराजी खसरा नंबर 540 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 541 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 542 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा, खतौनी संख्या 135 के आराजी खसरा नंबर 543 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 544/1 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 544/2 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 572/1 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 572/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 573 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 574 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 577 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 575 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा है जो अपीलांटस/वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रत्येक खतौनी संख्या 44, 17 व 135 में 1/4 हिस्सा अनुसार अपीलांटस काबिज है । खतौनी संख्या 44 की आराजी वाके ग्राम जैकमपुरा में एवं खतौनी संख्या 17 व 135 की आराजी नानण, तह0 दूदू में स्थित है । वादीगण/अपीलांटस ने वाद में वादीगण का सजरा दर्शाते हुए अंकित किया कि वंशावली में अंकित कल्याण की मृत्यु हो चुकी है, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक कल्याण की पत्नी भी नहीं है, इसलिये मृतक कल्याण की सम्पति डूंगा के उत्तराधिकारी सुखा के उत्तराधिकारी पांचू व लाला में 1/4, 1/4 हिस्सा विभाजित हो गई तद्नुसार काबिज काश्त है । उपरोक्त वंशावली से यह भी स्पष्ट है कि मांगू की सम्पति में डूंगा, सुखा, पांचू, लाला का 1/4, 1/4 हिस्सा है । खतौनी संख्या 44 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खतौनी संख्या 135 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा पैतृक सम्पति है, जिसका एकमात्र खातेदार मांगू वादीगण/अपीलांटस का दादा था । सेटलमेंट से पूर्व ही डूंगा की मृत्यु हो चुकी थी उस समय डूंगा की आयु करीब 40 वर्ष थी । डूंगा व उसकी पत्नी ने रेस्पो0 संख्या 1 को गोद ले लिया था । बरवक्त सेटलमेंट रेस्पो0 संख्या 1 की उम्र 3 वर्ष थी । अपीलांटस के बाबा मांगू की मृत्यु संवत् 2016 में हो गई थी, बरवक्त मृत्यु मांग व डूंगा के वारिसान उसकी पत्नी श्रीमती सेडी, दत्तक पुत्र नाथू (रेस्पो0 संख्या 1) व अपीलांटस थी परन्तु साजिशी तौर पर मांगू के मरने पर विरासत का नामांतकरण सुखा, पांचू, लाला व कल्याण के नाम खोल दिया गया जो गलत था । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों

के अनुसार डूंगा के न होने पर उसके दत्तक पुत्र उसकी पुत्रियों के नाम से विरासत नामांतकरण खुलना चाहिये था । खतौनी संख्या 17 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा जो ग्राम नानण में अवस्थित है, को कल्याण, डूंगा, सुखा, लाला व पांचू ने क्रय की थी । बरवक्त क्रय का सौदा संवत् 2008 में हुआ था जब बरवक्त सौदा पांचों भाईयों ने मिलकर आराजी की कीमत अदा की थी । सभी भाई शामलाती में रहते थे उक्त सौदा जुबानी हुआ था एवं पैसों की अदायगी कर दी गई थी परन्तु रजिस्ट्री नहीं हुई थी। संवत् 2009 में डूंगा देहावसान हो गया । बरवक्त रजिस्ट्री डूंगा के वारिसान ने अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 का नाम हटा दिया था व रजिस्ट्री शेष रेस्पो0 कल्याण, सुख, पांचू व लाला के नाम विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया गया जो गलत था । चूंकि डूंगा ने विवादित भूमि के बराबर पैसे दिये थे इसलिये डूंगा के वारिसान के नाम रजिस्ट्री में अंकित होना आवश्यक था । सन् 1992 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अलग हो गये थे उस समय भी प्रतिवादीगण व वादीगण के मध्य सीमाओं व भूमि को लेकर विवाद हो गया था तब प्रतिवादीगण ने एक लिखावट दिनांक 20.1.1992 को गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष तहरीर करवाई थी इसलिये अब प्रतिवादीगण/रेस्पो0 उक्त कथन से एस्टोप्ड है । इसी प्रकार दिनांक 12.1.1993 को भी समस्त ग्रामीण जन व पक्षकारान प्रतिवादीगण ने समझौता कर मृतक डूंगा के अधिकारों को स्वीकार किया है । इसके पश्चात् आज तक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण समस्त की नियत खराब हो गई है अब वे वादीगण को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना चाहते है इसलिये दुर्भिसंधि का एक वाद न्यायालय में पांचू बनाम लाला के नाम से प्रस्तुत किया हुआ था जिसमें वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा एकतरफा में निर्णय करवा लिया जिसका एकमात्र उद्देश्य वादीगण को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना था । दिनांक 23.10.2001 को बरवक्त कैम्प प्रशासन गांवों के संग में प्रतिवादीगण द्वारा की गई कारगुजारियों का मालूम पड़ा व प्रतिवादीगण ने उसी दिन वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व उनके अधिकारों से इंकार दिया । इसलिये वादीगण/अपीलांटस की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित हुए जिन्होंने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । प्रतिवादी संख्या 4 ने भी उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश किया । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अधी0न्याया0 ने अनुतोष सहित 12 तनकियात कायम की जिस पर तहसील न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निस्तारण करते समय प्रार्थीगण/वादिया को मात्र आराजी खाता नबंर 44 में हिस्सेदार मानते हुए अन्य खाता संख्या 17 व 135 में हिस्सा नहीं मानते हुए गलत रूप से तनकी का निस्तारण कर दिया और उसी प्रकार समस्त तनकियों का निस्तारण करते हुए अपीलांटस/वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 को पारित कर दी। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/5 एवं रेस्पो0 संख्या 10 रामेश्वर ने अपील के विचाराधीन रहते एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया ।

4. रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की मूल अपील एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय

है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि खाता संख्या 17 व खाता संख्या 135 की आराजी भी अपीलांटस के पूर्वजों की है । मिसल बंदोबस्त संवत् 2011 लगायत 2029 की खाता संख्या 50 में कल्याण, पांचू व लाला के पिता मांगू के नाम दर्ज थी जबकि उक्त आराजी को मांगू ही काश्त करता था । उक्त आराजी प्रतिवादी के खाते में किस प्रकार आई इसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था । केवल मात्र जमाबंदी के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि मांगू की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 लागू होने के पश्चात् हुई थी । ऐसी स्थिति में मांगू के पुत्र डूंगा की मृत्यु होने पर भी मृत पुत्र के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में बहैसियत वारिसान अपीलांटस प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी थी और उक्त आधार पर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निर्धारित किया जाना न्यायोचित था जिसे नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मांगू के पुत्र कल्याण नाऔलाद फौत बिला औरत फौत हुए थे ऐसी स्थिति में कल्याण के हक की आराजी में अपीलांटस/वादीगण 1/4, 1/4 हिस्से की अधिकारीणी थी । यह आवश्यक नही था कि अपीलांटस रामेश्वर पुत्र लाला को पक्षकार बनाते । अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं माना जा सकता जबकि वसीयत संदेहास्पद थी । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का निस्तारण गलत करने के आधार पर कल्याण की आराजी में हक व हिस्सा नहीं मानने में विधिक त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि पारिवारिक समझौता दिनांक 20.1.1992 से यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांटस समस्त आराजी में हक व हिस्सेदार थी किन्तु अधी0न्याया0 ने पारिवारिक समझौते को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात के अपीलांटस सहखातेदार है और सहखातेदार होने से विवादित आराजियात के प्रत्येक इंच भूमि पर अपीलांटस साधिकार रूप से काबिज है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 7 में रामेश्वर को मृतक कल्याण का वारिस नहीं माना है इसके बावजूद भी मृतक कल्याण की आराजी के बाबत् अपीलांटस के हक व हिस्से का निस्तारण नहीं किया । इसी प्रकार तनकी संख्या 8 में रामेश्वर का कोई हक व हिस्सा नहीं मानने के बावजूद भी मृतक कल्याण की आराजी बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया और कल्याण की आराजी बाबत् प्रकरण को एकतरह से अबेंस में रख दिया तथा तनकी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध पारित कर दिया । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 खतौनी संख्या 17 व 135 की हद तक निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 4/1 से 4/5 एवं रेस्पो0 संख्या 10 रामेश्वर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 को न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेज का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । वादिया/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में स्व0 कल्याण पुत्र मांगू के विधिक उत्तराधिकारी रामेश्वर पुत्र कल्याण के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नियुक्त किये बिना

वाद पेश किया है । वादग्रस्त आराजी बाबत् स्व0 कल्याण पुत्र मांगू के विधिक वारिसान रामेश्वर पुत्र कल्याण को उसके हकों से वंचित करने के लिये अधी0न्याया0 के समक्ष एक अन्य वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पांचू बनाम लाला प्रस्तुत किया था जिसमें वर्तमान अपीलांटस पक्षकार आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत मुर्तित किये उक्त वाद दिनांक 1.5.1998 को निरस्त हो चुका है । उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा पुनः उसी आराजी बाबत् नया वाद प्रस्तुत कर वाद की मद संख्या 11 में वादकारण दिनांक 23.10.2001 गलत अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व पूर्व निर्णय दिनांक 1.5.1998 से स्वंय साबित है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद कारण सरासर झूंठे व मनगंढ़त अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में निरस्तनीय होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना कोई विवेचन, विश्लेषण किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार कल्याण पुत्र मांगू को लाऔलाद फौत होना बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि कल्याण ने सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार रामेश्वर पुत्र लाल्या उर्फ लाला को गोद लेकर अपना पुत्र ग्रहण किया तथा कल्याण पुत्र मांगू का स्वर्गवास होने पर रामेश्वर ने पुत्र की हैसियत से सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार कार्य किये है । स्व0 कल्याण पुत्र मांगू ने संपूर्ण चल व अचल सम्पति व वाद में लिप्त आराजी रामेश्वर को बतौर रूबरू गवाहन के दिनांक 14.5. 1991 को वसीयत रामेश्वर के पक्ष में निष्पादित की है । उक्त वसीयत को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने फौजदारी मुकदमे के तहत न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रकरण अनुसंधान हेतु थाना, नरेना को भिजवाया गया । उक्त अनुसंधान में वसीयत को सही पाया गया तथा प्रकरण में एफ0आर0 लगाई गई थी । इस प्रकार वादीगण ने वादग्रस्त हड़पने की नियत से रामेश्वर को वाद में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण के पिता का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व हो चुका है जिससे पिता की सम्पति में वादीगण का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2014 को निरस्त किया जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा खाता संख्या 17, 44 व 135 की आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत कर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जिस पर अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु कुल 11 तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.2.2012 को तनकीवार निर्णय पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर खाता संख्या 44 की आराजी में वादीगण/अपीलांटस संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा शेष वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 17 एवं 135 बाबत् वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस ने अपील प्रस्तुत कर खाता संख्या 17 व 135 के संबंध में पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया। इसी प्रकार अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/5 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश

कर अधी0न्याया0 द्वारा खाता संख्या 44 बाबत् वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया है ।

8. इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया । ग्राम जैकमपुरा के खाता संख्या 44 के खसरा नंबर 14, 336, 341, 342, 343 व 56 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि मांगू वल्द घासी कौम रेगर हरिजन के नाम दर्ज थी । इसी प्रकार ग्राम नानण के खतौनी संख्या 17 की आराजी खसरा नंबर 540, 541, 542 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रदर्श पी–3 जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार कल्याण पुत्र मांगू हिस्सा 1/2, रामदेव, रामचन्द्र वगैरह पिसरान सुखा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज थी । इसी प्रकार ग्राम नानण की जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 के खाता संख्या 135 के खसरा नंबर 543, 544/1, 544/2, 572/1, 572/4, 573, 574, 575, 576, 579 कुल किता 10 कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा भूमि रामदेव वगैरह पिसरान सुखा हिस्सा 1/4, कल्याण, पांचू वलाला पि0 मांगू रैगर हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज थी । उपरोक्त दस्तावेजी मिसल बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 व जमाबंदियों के विवेचन से स्पष्ट है कि विवादि भूमियों में से ग्राम जैकमपुरा के जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 खाता संख्या 44 की भूमि रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा मांगू पुत्र घासी कौम रैगर के नाम पर्चा संवत् 2011 से 2029 से भूमि आई थी । वादपत्र में दर्शाये सजरे अनुसार यह स्वीकार्य तथ्य है कि मांगू पुत्र घासी रैगर के कुल पांच पुत्र कल्याण, डूंगा, सुखा, पांचू व लाला हुए । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि खाता संख्या 44 की आराजियात मांगू पुत्र घासी की होकर पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार वादपत्र में वर्णित अन्य आराजियात खाता संख्या 17 व 135 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 के अनुसार उक्त खाता संख्या 17 व 135 की कृषि भूमियां मांगू के अन्य पुत्रों कल्याण, सुखा, पांचू व लाला के नाम यो तो पर्चे से आई है या क्रय के आधार पर दर्ज हुई है । उक्त भूमियां मांगू की विरासत से आना नहीं माना जा सकता है क्योंकि जिन भूमियों पर मांगू का कब्जा था उसका पर्चा मांगू के नाम जारी हुआ तथा जिन भूमियों पर मांगू के पुत्रों का कब्जा था उन भूमियों का पर्चा मांगू के पुत्रों के नाम दर्ज हुआ है । मांगू के जिन पुत्रों के नाम पर्चा आया वह मांगू के जीवनकाल में आया था जिससे उक्त आराजियात उनकी स्वअर्जित ही मानी जावेगी । वादीगण ने पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि इन आराजियात पर डूंगा या उसके वारिसान का संवत् 2012 या उससे पूर्व कब्जा काश्त रहा हो । जहां तक खाता संख्या 17 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा ग्राम नानण का संयुक्त परिवार की आय से क्रय करने का प्रश्न है इस संबंध में वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

9. रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/5 एवं रेस्पो0 संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 में मुख्य रूप से कथन किया है कि कल्याण ने सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार रामेश्वर पुत्र लाल्या उर्फ लाला को गोद लेकर अपना पुत्र ग्रहण किया था तथा स्व0 कल्याण ने संपूर्ण चल व अचल सम्पति व वाद में लिप्त

आराजी रामेश्वर को बतौर रूबरू गवाहान के दिनांक 14.5.1991 को वसीयत रामेश्वर के पक्ष में निष्पादित की है । उक्त वसीयत को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने फौजदारी मुकदमें के तहत न्यायालय सिविल न्यायाधीश, क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण अनुसंधान हेतु थाना, नरेना को भिजवाया गया । उक्त अनुसंधान में वसीयत को सही पाया गया तथा प्रकरण में एफ0आर0 लगाई गई थी । इस प्रककार वादीगण ने वादग्रस्त आराजी हड़पने की नियत से रामेश्वर को वाद में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । यह भी कथन किया कि वादीगण के पिता का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व हो चुका था जिससे कल्याण पुत्र मांगू की सम्पति में वादीगण का अधिकार नहीं था । इस संबंध में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 7 कायम थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को यह साबित करना था कि आया कल्याण ने अपने जीवनकाल में ही रामेश्वर पुत्र लाला को गोद ले लिया था जिससे वह वारिस है एवं विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है एवं लगान अदा करता आ रहा है ? इस तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई लिखत गोदनामा, गवाह या साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं जिससे उक्त कथन साबित होते हो । प्रतिवादी संख्या 4 ने जिस रामेश्वर को गोद पुत्र होना बताया है वह भी पक्षकार या गवाह बनकर अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं हुआ । अधी0न्याया0 के समक्ष जो लिखत वसीयत पेश की गई है वह विवादित है । प्रतिवादी द्वारा कब्जे बाबत् कोई लगान की रसीदें भी पेश नहीं की गई है । इन दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 7 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 4 निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम जैकमपुरा के खाता संख्या 44 की आराजी रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा मृतक मांगू पुत्र घासी कौम रेगर के नाम दर्ज थी जिससे उक्त खाते की आराजी पैतृक सम्पति होने से मांगू के प्रत्येक पुत्र का खाता संख्या 44 की आराजी में 1/5, 1/5 बराबर हक व हिस्सा है । इसलिये रेस्पो0 का यह कथन कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वादीगण/अपीलांटस का वाद खाता संख्या 44 के संबंध में आंशिक रूप से डिक्री किया है, किया गया कथन आधारहीन होने से निरस्तनीय है । अतः रेस्पो0 संख्या 4/1 से 4/5 एवं रेस्पो0 संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 118/2003 पुनः दर्ज 131/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 30.7.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर